न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

श्रवण बनाम भंवरलाल एवं अन्य

आदेश **दिनांकः—25.05.2022**

उक्त उनवानी अपील एस0डी0ओ दूदूं के आदेश दिनांक 18.01.2021 के विरूद्ध की गई हैं, पत्रावली अंतिम बहस में थी, इसी दौरान अधिवक्ता पूनम माथुर के द्वारा दिनांक 31.03.2022 को अपीलांट की उपस्थिति में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाइस से राजीनामा हो गया। अब अपील को आगे नहीं चला कर अपील को विड्रों करना चाहते है तथा यह भी कहा है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 02.05.2022 है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण की पत्रावली तलब की जाकर अपील को विड्रों किया जाने का आदेश प्रदान किया। दिनांक 08.04.2022 को उक्त उनवानी प्रकरण में रेस्पो0 नम्बर 3 की अधिवक्ता कमलेश चौहान के द्वारा एक प्रार्थना पत्र यह कहकर पेश किया कि अपीलांट श्रवण द्वारा 6 लाख रूपये लेकर राजीनामा कर लीया तथा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वादपत्र को विड्रों कर लिया गया। अतः प्रस्तुत अपील वर्तमान में सारहीन हो जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। साथ में राजीनामा दिनांक 29.03.2022 भी प्रस्तुत किया।

दिनांक 06.04.2022 को श्रवण द्वारा अपने अभि0 के जरिये विड्रो प्रार्थना पत्र बाबत एतराज प्रस्तुत किया है। जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 31.03.2022 को श्रवण द्वारा विड्रो प्रकरण के मामले में एक एफआईआर 132/22 की निष्पक्ष जांच हेतु पुलिस अधीक्षक जयपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया है। अतः अपील का गुणावगुण पर निर्णय कराये।

दिनांक 13.04.2022 को श्रवण द्वारा अपना शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया की उनके द्वारा पूनम माथुर को अभि0 नियुक्त नहीं किया है। मेरे अभि0 श्री अजीत सिंह राठौड़ है। मेरे द्वारा एक शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर के यहां दर्ज कराई है। कृपया गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करें। साथ में अपने आधार कार्ड की फोटोंप्रति जमाबंदी ग्राम किला संवत 2074 अधीनस्थ न्यायालय में चल रहें प्रकरण 24/2022 की प्रोसिडिंग दिनांक 11.04.2022 प्रस्तुत की है। उक्त प्रोसिडिंग के अनुसार "आज यह प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3(1) व धारा 151 सीपीसी पेश हुआ वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर तलबी अप्रार्थीगण जारी होकर दिनांक 25.04.2022 को पेश हो यह अंकित किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी दूदूं को प्रस्तुत अपीलांट द्वारा विड्रो प्रार्थना पत्र के एतराज बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उन्होंने धनबल के आधार पर दबाव देकर प्रार्थी श्रवण से विड्रो करवाया गया।

वकील पूनम माथुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण संख्या 95/2014 न्यायालय प्रोसिडिंग अधीनस्थ न्यायालय श्रवण बनाम भंवरलाल का अवलोकन किया गया। उक्त प्रोसिडिंग दिनांक 03.07.2014 से लेकर दिनांक 29.03.2022 तक है। उक्त प्रोसिडिंग के अनुसार "प्रार्थना पत्र विड्रो स्वीकार किया जाकर वादी का वाद प्रत्याहरित(विड्रो) किये जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि न्यायालय हाजा में चल रही अपील में अपीलांट के वकील अजित सिंह राठौड़ है। पूनम माथुर द्वारा दिनांक 29.03.2022 की फोटोप्रति प्रमाणित जिसपर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर है प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा प्रकरण 95/2014 है। जो दावा है। अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग दिनांक 29.03.2022 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी दूदूं द्वारा वर्तमान अपीलांट श्रवण द्वारा प्रस्तुत विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है तथा प्रकरण को फैसल शुमार कर दाखिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दफ्तर कर लिया गया है। दिनांक 13.04.2022 को अपीलांट श्रवण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर जो दस्तावेज न्यायालय हाजा को प्रस्तुत कराये है उसमें श्रवण बनाम भंवरलाल प्रार्थना पत्र पेज संख्या 24/22 अंकित किया हुआ है। जिसमें दिनांक 11.04.2022 को रेस्पो0 की तलबी के लिए लिखा जाकर आगामी पेशी दिनांक 25.04.2022 दर्ज की गई है अर्थात श्रवण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे को विड्रो करवाने के बाद अब उसके एतराज के बाद नवीन सिरे से कार्यवाही आरंभ होकर जारी है। अपीलांट श्रवण द्वारा विड्रो के बाद न्यायालय एस0डी0ओ दूदू द्वारा अपीलांअ के एतराज पर कोई निर्णय नहीं किया गया।

चूंकि न्यायालय हाजा में जो अपील विचाराधीन थी वह अपील उपखण्ड अधिकारी दूदू के अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 95/2014 दिनांक 18.01.2021 के विरूद्ध थी वह अपीलांट श्रवण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.03.2022 को विड्रो करवा ली गई है। अतः वर्तमान अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अब इस अपील पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

25.5.2022

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी
अजमेर